



No. F.1/Gr.5(Gen)/01/2014/ 4155-67

परिपत्र

Dated: 21/2/2024

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक 1(22)त.शि./2007 दिनांक 18 फरवरी 2015 की पालना एवं निदेशालय, महिला अधिकारिता (महिला संरक्षण प्रकोष्ठ), जयपुर के पत्रांक.एफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पीड़न/11/65765 दिनांक 30.12.2013 के अनुसरण में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) की अनुपालना में महाविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F.1/Gr.5(Gen)/01/2014/6405-6419 दिनांक 23.03.2021 द्वारा गठित निम्न आंतरिक शिकायत समिति में मनोनीत अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 27.02.2024 से तीन वर्ष के लिये बढ़ाया जाता है :

क्रम संख्या	पद	वांछित योग्यता	नाम	योग्यता
1.	अध्यक्ष	ऐसी महिला का नामांकन किया जाए जो उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत हो। यदि ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं तो संबंधित संस्था के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाईयों में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जाएगा। यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक इकाईयों में भी ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं तो उस नियोक्ता के अन्य कार्यस्थलों अथवा विभाग अथवा संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जावे।	श्रीमति दीप्ति शर्मा	M.Text (Textile Technology)
2.	सदस्य-2	कम से कम दो सदस्यों को उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से नामांकित किया जावे जो महिलाओं से संबंधित विषयों के प्रति कार्य करने में पर्याप्त अनुभवी एवं समर्पित हों तथा जिनको सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी हो।	1. डॉ. कमल चंद जैन 2. श्रीमति रीना रंजन भटनागर	M.Sc., Ph.D M.A. and Diploma in Textile Designing
3.	सदस्य-1	ऐसी स्वयं सेवी संगठनों में से नामित किया जावे जो महिलाओं के विषयों के प्रति समर्पित हो एवं ऐसा व्यक्ति यौन शोषण के मुद्दे में पर्याप्त जानकारी रखता हो।	श्रीमति अनुपमा मानसिंहका	B.A.

1. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से अधिकतम 3 वर्ष रहेगा।
2. स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिये मानदेय/भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) नियम, 2013 के अनुसार देय होगा।

ml

कृपउ.....2.....

3. अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरुद्ध एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4 (5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अंतर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जा सकेगा ।

4. अधिनियम के अध्याय VIII की धारा 21 (1) की पालना में आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिये निर्धारित फॉर्म में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता द्वारा जिला अधिकारी (संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) को प्रेषित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :

- (i) वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न शिकायतों की संख्या
- (ii) ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया
- (iii) ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है
- (iv) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या
- (v) नियोक्ता द्वारा की गयी कार्यवाही का स्वरूप

प्राचार्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ:

1. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ।
2. प्रभारी अधिकारी (विकास अनुभाग) कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा को उनके पत्रांक एफ 25-3(1)(1)विकास/2020/2429/44619 दिनांक 22.03.2020 की अनुपालना में प्रेषित है ।
3. शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 16 (4)(5)निमअ/यौन.उत्पी./2019/8778-8810 दिनांक 26.02.2021 के क्रम में प्रेषित है ।
4. आयुक्त महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जे-7, झालाना इन्सटीट्यूशनल एरिया,, जयपुर-302004 को उनके पत्रांक 1(22)त.शि./2007 दिनांक 18 फरवरी 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित हैं ।
5. संयुक्त शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक 1(22)त.शि./2007 दिनांक 18 फरवरी 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित हैं ।
6. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भीलवाड़ा ।
7. श्रीमति दीप्ति शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर (टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी) एवं अध्यक्षा आंतरिक शिकायत समिति को महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।
8. डॉ. कमल चंद जैन, एसोसिएट प्रोफेसर (भौतिकी) एवं सदस्य आंतरिक शिकायत समिति ।
9. श्रीमति रीना रंजन भटनागर, डिमोस्ट्रेटर एवं सदस्या आंतरिक शिकायत समिति
10. श्रीमति अनुपमा मानसिंहका, चेयरपर्सन, अक्षय आनंद फाउंडेशन समिति, महादेव कॉटन मिल के पास, पुराना बस स्टैंड रोड, भीलवाड़ा-311001 (मोबाईल नं 9001511555) एवं सदस्या आंतरिक शिकायत समिति को महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।
11. विभागाध्यक्ष (आई.टी) को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।
12. हॉस्टल नोटिस बोर्ड (छात्रा)
13. स्टाफ नोटिस बोर्ड

21.02.21
प्राचार्य